



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 26.12.2025

1.थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा मोबाइल फोन स्नैचिंग/चोरी करने वाले गैंग के 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग/चोरी के 22 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 02 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.12.2025 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले गैंग के 04 शातिर अभियुक्त 1. शमीम पुत्र नियाज मौहम्मद 2. साजिद पुत्र फखरुद्दीन 3. सिकन्दर उर्फ मुखिया पुत्र महमूद 4. ईनाम पुत्र नौशाद अली को डी-पार्क सेक्टर-62 नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से स्नैचिंग/ चोरी के 22 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 02 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- पूछताछ करने के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग एक गैंग के रूप में कार्य करते हुए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी कर उनसे ही मोबाइल फोन स्नैचिंग व चोरी की घटना कारित करते हैं। अभियुक्त सिकन्दर उर्फ मुखिया व ईनाम द्वारा स्नैचिंग/चोरी के मोबाइल फोनों के पार्ट्स निकालकर उन्हें करोलबाग दिल्ली में बेच दिया जाता है तथा प्राप्त धनराशि को आपस में बाँट लेते हैं। अभियुक्तों द्वारा बरामद मोबाइल फोन के संबंध में बताया गया कि हमने ये मोबाइल फोन नोएडा, गाजियाबाद व दिल्ली से स्नैचिंग किए थे तथा बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अगस्त माह में हमने मोटरसाइकिल रजि0नं0-DL9SK7243 को उत्तमनगर दिल्ली से चोरी की थी व मोटरसाइकिल रजि0नं0-DL1SU4800 को इसी महीने अम्बेडकरनगर साउथ दिल्ली से चोरी किया था तथा इन्हीं मोटरसाइकिलों से हमने ये मोबाइलफोन स्नैचिंग कर इकट्ठे किए थे। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम मोटरसाइकिलों का स्थान बदलते रहते हैं जिससे कि पकड़े न जा सकें।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शमीम पुत्र नियाज मौहम्मद निवासी मुँगा नगर, थाना गोकलपुरी, दिल्ली, उम्र करीब 32 वर्ष, शिक्षा- कक्षा10वीं।
2. साजिद पुत्र फखरुद्दीन निवासी न्यू विकास नगर, लोनी देहात, थाना लोनी, गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 10वीं।
3. सिकन्दर उर्फ मुखिया पुत्र महमूद निवासी अल्वी नगर लोनी, थाना लोनी, गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष, अनपढ़।

4. ईनाम पुत्र नौशाद अली निवासी न्यू मुस्तफाबाद, थाना गोकलपुरी, दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 9वीं।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 0467/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 3817/2023 धारा 411/34 भादवि, आनन्द विहार दिल्ली।
3. मु0अ0सं0 023906/25 दिनांक 31/08/2025, थाना उत्तमनगर, दिल्ली।
4. मु0अ0सं0 033362/25 दिनांक 06/12/2025, थाना अम्बेडकरनगर, साउथ दिल्ली।

बरामदगी का विवरण--

1. स्नैचिंग/चोरी के 22 मोबाइल फोन
2. मोटरसाइकिल रजि0नं0-DL9SK7243 संबंधित मु0अ0सं0 023906/25, थाना उत्तमनगर, दिल्ली।
3. मोटरसाइकिल रजि0नं0- DL1SU4800 संबंधित मु0अ0सं0 033362/25, थाना अम्बेडकरनगर, साउथ दिल्ली।

2.थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व अवैध शस्त्र बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.12.2025 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 02 शातिर चोर 1. अविनाश पुत्र मदन कुमार साह 2. पीयूष उर्फ बिट्टू पुत्र योगेश को सेक्टर-58 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी रजि0नं0-DL3SFQ4459 व अभियुक्त पीयूष उर्फ बिट्टू के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम स्कूटी से मोबाइल फोन चोरी/स्नैचिंग जैसी घटना कारित करते हैं। बरामद स्कूटी रजि0नं0-DL3SFQ4459 के संबंध में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हमने ये स्कूटी दिल्ली से चोरी की थी, जिसके संबंध में मु0अ0सं0-13620/2025 ई-पुलिस स्टेशन, दिल्ली में पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अविनाश पुत्र मदन कुमार साह निवासी ग्राम सीतारामपुर, सुल्तान गंज (बिहार) वर्तमान पता पुस्ता पार, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर, उम्र 24 वर्ष।
2. पीयूष उर्फ बिट्टू पुत्र योगेश निवासी नगला डालचन्द, थाना महुआ खेड़ा, अलीगढ़ वर्तमान पता पुराना हैबतपुर, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-468/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-13620/2025 ई-पुलिस स्टेशन, दिल्ली।

अभियुक्त पीयूष उर्फ बिट्टू आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0- 377/2021 धारा 307 भादवि, थाना अकराबाद, अलीगढ़।
2. मु0अ0सं0- 363/2022 धारा 174ए भादवि, थाना अकराबाद, अलीगढ़।
3. मु0अ0सं0-442/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना अकराबाद, अलीगढ़।
4. मु0अ0सं0-130/2018 धारा 379/411/414/420 भादवि, थाना क्वार्सी, अलीगढ़।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की 01 स्कूटी रजि0नं0-DL3SFQ4459
2. 01 अवैध चाकू